न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 — 12/2019

अनवान : —

1. रोशनी देवी पुत्री गुगनराम जाति मेघवाल निवासी मोखाराणी त0 व जिला सिरसा।।
2. बनारसी देवी पुत्री गुगनराम जाति मेघवाल निवासी मोखाराणी त0 व जिला सिरसा।

—प्रार्थीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :—श्री विनोद सिंगाढिया प्रार्थीगण
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांक: 17/6/22

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि चक 8 डीपीएन के खाता सं0 83/80 के मु0न0 46 के किला न0 21 ता 25, मु0न0 47 के किला न0 20 ता 25, मु0न0 55 के किला न0 1 ता 15, मु0न0 56 के किला न0 1 ता 17, की कुल 10.8790 है0 नहरी 10.7510है0 0. 125है0 गै0मु0 खाला संयुक्त खाता की कृषि भूमि है जिसमें गुडडी व धोला पुत्रीयां गुगनराम का नाम भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थीयागण के पिता का देहान्त होने के बाद उक्त वाद भूमि विरासतन इंतकाल दर्ज करते समय प्रार्थीया सं0 1 व 2 क्रमशः रोशनी देवी व बनारसी देवी की जगह गुड्डी व धोला दर्ज हो गया जबकि सही नाम प्रार्थीयागण का रोशनी देवी व बनारसी देवी है। प्रार्थीगण के सभी दस्तावेजों में सही नाम रोशनी देवी व बनारसी देवी है, इस प्रकार आज दिनांक तक नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थीगण अपने हक हिस्सा की भूमि का सही प्रकार से उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहे है। अतः राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम दुरूस्त करवा पाने की प्रार्थीयागण कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

साक्ष्य प्रार्थी में प्रार्थीया रोशनी देवी के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जमाबंदी चक 8 डीपीएन प्रर्दश 1 स्टाम्प सही नाम बाबत प्रर्दश 2 बैक पास बुक 3ए आधार कार्ड की फोटो प्रति प्रर्दश 4 सरपंच प्रमाण पत्र प्रर्दश 5 शपथ पत्र बनारसी देवी प्रर्दश 6 पास बुक प्रति बनारसी प्रर्दश 7ए आधार कार्ड प्रति बनारसी 8ए राशन कार्ड प्रर्दश 9ए व सरपंच प्रमाण पत्र प्रर्दश 10ए प्रर्दशित करवायें।

बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण का सही नाम कमशः रोशनी देवी व बनारसी देवी है जबकि विरासतन नामान्तरण दर्ज करते समय प्रार्थीगण का नाम गुडडी व धोला दर्ज हो गया जिससे प्रार्थीगण को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है अतः मुताबिक प्रार्थीगण के दस्तावेजों व रिपॉर्ट के प्रार्थीगण का सही नाम रोशनी देवी व बनारसी देवी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने रोही मौजा चक 8 डीपीएन के खाता सं0 83/80 के मु0न0 46 के किला न0 21 ता 25, मु0न0 47 के किला न0 20 ता 25, मु0न0 55 के किला न0 1 ता 15, मु0न0 56 के किला न0 1 ता 17, की कुल 10.8790 है0 नहरी 10.7510है0 0.125है0 गै0मु0 खाला संयुक्त खाता की कृषि भूमि है जिसमें गुडडी व धोला पुत्रीयां गुगनराम का नाम भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थीया सं0 1 का नाम रोशनी देवी की जगह गुडडी व प्रार्थीया सं0 2 बनारसी देवी की जगह धोला दर्ज है। पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों में प्रार्थीगण का सही नाम रोशनी देवी व बनारसी देवी देवी है तथा तहसीलदार नाथूसरी जिला सिरसा के अनुसार भी प्रार्थीगण का नाम रिकार्ड अनुसार रोशनी देवी व बनारसी देवी सही दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक 8 डीपीएन के खाता सं0 83/80 के मु0न0 46 के किला न0 21 ता 25, मु0न0 47 के किला न0 20 ता 25, मु0न0 55 के किला न0 1 ता 15, मु0न0 56 के किला न0 1 ता 17, की कुल 10.8790 है0 नहरी 10.7510है0 0.125है0 गै0मु0 खाला संयुक्त खाता की कृषि भूमि है जिसमें गुडडी व धोला पुत्रीयां गुगनराम का नाम भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थीया सं0 1 का नाम रोशनी देवी की जगह गुडडी व प्रार्थीया सं0 2 बनारसी देवी की जगह धोला दर्ज है, में **गुड्डी पुत्री गुगनराम की जगह प्रार्थी सं0 1 का सही नाम रोशनी देवी पुत्री गुगनराम व धोला पुत्री गुगनराम की जगह प्रार्थीया सं0 2 का सही नाम बनारसी देवी पुत्री गुगनराम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करें।** यदि किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि गुड्डी, धोला के नाम से हो तो उसके लिए प्रार्थीगण का नाम गुडडी व धोला ही लागू होगा।

निर्णय आज दिनांक 17/6/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़